



EXPORT PROMOTION COUNCIL FOR HANDICRAFTS

"EPCH HOUSE" POCKET-6 & 7, SECTOR-C, L.S.C., VASANT KUNJ, NEW DELHI-110070

Tel: 91-11-26135256

Fax: 91-11-26135518, 26135519

Email: compliancecell@epch.com

Web: www.epch.in

PRESS RELEASE

EPCH ORGANIZED AN AWARENESS SEMINAR ON "DELHI VAT ACT 2004 AND CURRENT AMENDMENTS" AT RAJIV GANDHI HANDICRAFTS BHAWAN, NEW DELHI ON DEC. 21, 2013

New Delhi – December 22, 2013 -- The Export Promotion Council for Handicrafts (EPCH) organized an Awareness Seminar on Delhi VAT Act 2004 and Current Amendments 2013 at Rajiv Gandhi Handicrafts Bhawan here yesterday.

Mr. Deepak Bajoria, Chartered Accountant of M/s D K Bajoria & Associates, New Delhi made a detailed presentation on Delhi VAT Act 2004, Implications of Act and Current Amendments to create an awareness of DVAT Act 2004.

The objective of the seminar was to provide the required knowledge on Delhi VAT Act 2004 and latest amendments of Delhi Vat Act 2013. The speaker interacted with the participants wherein over 40 member exporters were present.

He broadly covered the segments of Delhi VAT Act 2004 which included Registration Procedure Liability to Tax, Credit and Debit Note, Composition Scheme, Computation of Tax, Invoices, Accounts and Records, Returns and Self and Default Assessment and Audit etc.

Mr. Bajoria informed the participants that the Act appears to be the most liberal Value Added Tax (VAT) law in India and applies to all types of business segment including :- Importers, Exporters, wholesalers, retailers etc. It has simplified the registration procedures and provides for across the board input tax credit (with a few exceptions) for business transactions. The act provides for tax refunds for exporters (refund of tax paid on inputs used in the manufacture of goods exported) but also provides for refund of tax in cases where the inputs are taxed at 14.5% irrespective of the output tax.

He stressed on the need of regular VAT Audit and elaborated on the need to adopt a Tax Mechanism for charging VAT.

Meanwhile, to educate the member exporters, the Council also simultaneously organized a seminar on " ECGC AND MARINE INSURANCE- OVERING RISKS OF EXPORTS" at Kolkata yesterday which was attended by over 40 participants.

Mr. Rakesh Kumar, Executive Director of EPCH informed that the export business is highly specialized area of work and success in the competitive international markets. The purpose of the above seminar was to create awareness among member exporters for managing & minimizing the risks through insurance. He also informed that the Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) helps in providing cover for all goods transported by rail, road, sea and/or air, against unforeseen losses, which may arise due to failure of the buyer, bank or problems faced by the country of the buyer.

The Executive Director-EPCH further informed that the Council will organize seminars on other subjects also for the promotion of handicrafts exports from the country.

For more information, kindly contact:

Mr. Rakesh Kumar, Executive Director, EPCH at : 9818272171

प्रेस विज्ञप्ति

ईपीसीएच ने 21 दिसंबर 2013 को नई दिल्ली के राजीव गांधी हस्तशिल्प भवन में 'दिल्ली वैट अधिनियम 2004 और वर्तमान संशोधन' पर जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया।

नई दिल्ली- 22 दिसंबर 2013- हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) ने 'दिल्ली वैट अधिनियम 2004 और वर्तमान संशोधन 2013' पर शनिवार को राजीव गांधी हस्तशिल्प भवन में एक जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया।

दिल्ली वैट अधिनियम 2004 पर जागरूकता के लिए नई दिल्ली स्थित डी के बजोरिया एंड एसोशिएट्स के चार्टर्ड अकाउन्टेंट (प्रमाणित लेखापाल) श्री दीपक बजोरिया ने दिल्ली वैट अधिनियम 2004, अधिनियम का आशय और वर्तमान संशोधनों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।

इस सेमिनार का उद्देश्य दिल्ली वैट अधिनियम 2004 और दिल्ली वैट अधिनियम 2013 के नए संशोधनों की आवश्यक जानकारी मुहैया कराना था। इस दौरान वक्ता ने ईपीसीएच के 40 सदस्य निर्यातकों समेत सभी मौजूद प्रतिभागियों से बातचीत की।

उन्होंने विस्तार पूर्वक दिल्ली वैट अधिनियम 2004 के विभिन्न खंडों यथा पंजीकरण प्रक्रिया, टैक्स देयता, क्रेडिट-डेबिट नोट, संयोजन योजना, टैक्स संगणना, इनवॉइस, अकाउंट और रिकार्ड्स, निवेश, स्व मूल्यांकन व डिफॉल्ट मूल्यांकन और लेखा परीक्षा इत्यादि पर विस्तार पूर्वक बताया।

श्री बजोरिया ने प्रतिभागियों को बताया कि यह अधिनियम भारत का सबसे उदार मूल्य संवर्धित कर (वैट) कानून है और आयातक, निर्यातक, थोक, खुदरा इत्यादि सभी प्रकार के व्यापार खंडों पर लागू होता है। इसने पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया है और व्यापार लेनदेन के लिए (कुछ अपवादों को छोड़कर) एक समान निवेश पर टैक्स क्रेडिट के लिए प्रदान किया जाता है। यह अधिनियम निर्यातकों को टैक्स रिफंड प्रदान करता है (निर्यात माल के निर्माण में निवेश पर भुगतान कर की वापसी) और उन मामलों में भी कर भुगतान की वापसी करवाता है जहां उत्पादन टैक्स के अलावा निवेश पर 14.5% का टैक्स लगाया जाता है।

उन्होंने नियमित वैट ऑडिट की आवश्यकता पर जोर दिया और बदलते वैट पर एक टैक्स तंत्र को अपनाने की आवश्यकता को विस्तार पूर्वक बताया।

इसी बीच, सदस्य निर्यातकों को शिक्षित करने के लिए परिषद ने इसके साथ ही 'ईसीजीसी और समुद्री बीमा- निर्यात में बढ़ते जोखिम' पर शनिवार को ही कोलकाता में एक सेमिनार का आयोजन किया। इसमें 40 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

ईपीसीएच के कार्यकारी निदेशक श्री राकेश कुमार ने बताया कि प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कार्य और सफलता के लिए निर्यात कारोबार अति विशिष्ट क्षेत्र है। इस सेमिनार का उद्देश्य था सदस्य निर्यातकों में बीमा के जरिए जोखिम प्रबंधन और न्यूनीकरण पर जागरूकता पैदा करना। उन्होंने जानकारी दी कि निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) रेल, सड़क, समुद्र और वायु के जरिए पहुंचाये जाने वाले सभी सामानों पर बैंक या खरीददारों या खरीददार देश के सामने आने वाली समस्याओं की वजह से उत्पन्न अप्रत्याशित नुकसानों पर बीमा प्रदान करता है।

ईपीसीएच के कार्यकारी निदेशक ने कहा कि परिषद देश से हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने से जुड़े अन्य विषयों पर भी सेमिनार का आयोजन करेगी।

और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

श्री राकेश कुमार, कार्यकारी निदेशक, ईपीसीएच (9818272171)